संख्या: 02/2020/1794 /सत्रह-म-2019-6-9 (2)/19

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 24जनवरी, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 2013.279 लाख (केन्द्रांश रू0 1139.593 लाख तथा राज्यांश रू0 873.686 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-466 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 2013.279 लाख (केन्द्रांश धनराशि रू01139.593 लाख तथा राज्यांश धनराशि रू0 873.686 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा कुल रू0 9624.94 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी है, जिसमें से अनुदान के रूप में रू0 5059.64 लाख (केन्द्रांश रू0 2983.79 लाख+राज्यांश रू0 2075.85 लाख) तथा लाभार्थी अंश के रूप में रू0 4565.30 लाख की धनराशि निहित है। भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु रू0 2268.712 लाख का केन्द्रांश प्रथम किश्त के रूप में अपने पत्र संख्या-जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।।,दिनांक 09.12.2019 द्वारा अवमुक्त किया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य मद हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत संदर्भित योजना के लिए कुल रू0 4195.78 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक विगत वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष पृथक-पृथक शासनादेशों द्वारा कुल धनराशि रू0 2180.701 लाख (रू0 650.00 लाख + रू0 588.471 लाख + रू0 942.23 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त मात्र रू0 2015.079 लाख की बजट धनराशि अवशेष है। अत: अनुदान संख्या- 17 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आय-व्ययक में प्राविधानित बजट में से अवशेष उक्त धनराशि की सीमान्तर्गत केन्द्रांश रू0 1139.593 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 873.686 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 2013.279 लाख (रू0 बीस करोड तेरह लाख सत्ताईस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष, प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि में से अवशेष बजट धनराशि रू0 2015.079 लाख की सीमान्तर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0 1139.593 लाख तथा मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 873.686 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 2013.279 लाख (रू0 बीस करोड तेरह लाख सत्ताईस हजार नौ सौ मात्र) को निम्न तालिकानुसार 18 परियोजनाओं / मदों में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम / श्रेणी/ फण्डिंग पैटर्न (के0+रा0+ला0)	भौतिक लक्ष्य (सं0/ हे0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान (के0+रा0)	वर्ष 2019-20 हेतु सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	सोलर पावर सर्पोट सिस्टम फार एक्वाकल्चर (यू0पी0एफ0डी0सी0) (50% के0+50% रा0)	40	15.00	600.00	600.00	300.00	300.00	**600.00**	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या-466 / नि0 शा0/ 2019-20 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/ फांट के अनुसार ।
2	जलप्लावित क्षेत्रों का विकास (सामान्य)(24%के0+16% रा0+60%ला0)	7	5.00	35.00	14.00	7.68	5.12	**12.80**	
3	जलप्लावित क्षेत्रों में ताजे पानी में फिनफिश कल्चर के लिए इनपुट लागत (सामान्य) (24%के0+16% रा0+60%ला0)	7	1.50	10.50	4.20	2.304	1.536	**3.840**	
4	आई0एम0सी0 तथा अन्य विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना(सामान्य) (24%के0+16%रा0+60%ला0)	4	25.00	100.00	40.00	24.00	16.00	**40.00**	
5	आई0एम0सी0तथा अन्य विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना (महिला) (36%के0+24%रा0+40%ला0)	3	25.00	75.00	45.00	27.00	18.00	**45.00**	
6	फिश सीड रियरिंग यूनिट (सामान्य)(24%के0+16%रा0+60%ला0)	15	6.00	90.00	36.00	21.60	14.40	**36.00**	
7	फिश सीड रियरिंग यूनिट (महिला)(36%के0+24% रा0+40%ला0)	4	6.00	24.00	14.40	7.56	5.04	**12.60**	
8	फिश सीड रियरिंग यूनिट (यू0पी0एम0जे0एस0एस0) (50%के0+50%रा0)	3	6.00	18.00	18.00	9.00	9.00	**18.00**	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	नये तालाबों का निर्माण (सामान्य)(24%के0+16%रा0 +60%ला0)	200	7.00	1400.00	560.00	240.94	160.62	**401.56**	
10	नये तालाबों का निर्माण(जलीय कृषि के लिए अंतर्देशीय खारा पानी का उत्पादक उपयोग) (सामान्य)(24%के0+16%रा0+60%ला0)	10	7.00	70.00	28.00	16.80	11.20	**28.00**	
11	ताजे पानी में झींगा कल्चर के लिए इनपुट लागत (सामान्य)(24%के0+16% रा0+60%ला0)	10	2.50	25.00	10.00	6.00	4.00	**10.00**	
12	जलाशयों तथा अन्य खुले जलक्षेत्रों में केज /पेन की स्थापना (सामान्य)(24%के0+16% रा0+60%ला0)	260	3.00	780.00	312.00	187.20	124.80	**312.00**	
13	मोबाइल फिश आउटलेट की स्थापना (यू0पी0एम0जे0 एस0एस0) (50% के0+50%रा0)	1	9.54	9.54	9.54	4.77	4.77	**9.54**	
14	स्माल फीड मिल (सामान्य)(24%के0+16% रा0+60%ला0)	21	10.00	210.00	84.00	50.40	33.60	**84.00**	
15	स्माल फीड मिल (महिला) (36%के0+24%रा0+40%ला0)	16	10.00	160.00	96.00	57.60	38.40	**96.00**	
16	कम लागत के आर0ए0एस0 (यू0पी0एफ0डी0सी0) (50% के0+50% रा0)	16	15.00	240.00	240.00	120.00	120.00	**240.00**	
17	सोलर पावर सर्पोट सिस्टम फार एक्वाकल्चर (सामान्य)(24%के0+16%रा0+60%ला0)	3	15.00	45.00	18.00	10.80	7.20	**18.00**	
	उपयोग					**1093.65**	**873.69**	**1967.34**	
18	प्रशासकीय व्यय (केन्द्रांश का 3 प्रतिशत)			86.90	86.90	45.939	0.000	45.939	**मत्स्य निदेशालय स्तर से धनराशि के आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**
				कुल योग -		**1139.593**	**873.686**	**2013.279**	

(रू0 बीस करोड तेरह लाख सत्ताईस हजार नौ सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- 2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्मका उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यक्तानुसार ही किया जायेगा।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ (यू0पी0एफ0डी0 सी0) को प्रस्तर-4 की तालिका के क्रमांक-(1),(12) व (16) पर अंकित परियोजनाओं हेतु तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0,लखनऊ (यू0पी0एम0जे0एस0एस0) को क्रमांक-(8),(12) एवं (13) में अंकित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ एवं उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना,20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 56/ ई-1-दस-2020, दिनांक: 24 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 2/2020 / 1794(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com